

## विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 638/वि०स०/संसदीय/२(सं)/२०२०

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,  
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक : 13 अगस्त, 2020

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 554/वि०स०/संसदीय/०९(सं)/२०१७, दिनांक 16 जुलाई, 2020 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 20 अगस्त, 2020 से 24 अगस्त, 2020 तक के उपवेशनों का प्रस्तावित तिथिवार कार्यक्रम, जैसा कि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अनन्तिम रूप से स्वीकृत हुआ है, संलग्नक-एक के रूप में आपकी सूचनार्थ संलग्न है।

उक्त प्रसंग में मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि संलग्नक-दो में उल्लिखित अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक तथा कठिपय अन्य नये विधेयकों को ऐसे क्रम में विचारार्थ लिये जाने की सम्भावना है जिसकी सूचना आपको यथासमय पृथक से दी जायेगी।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

संख्या : 638(1)/वि०स०/संसदीय/२(सं)/२०२०, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- 1-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 2-अपर मुख्य सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 3-मा० मुख्य मंत्री के निजी सचिव को मा० मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
- 4-मा० अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को मा० अध्यक्ष की सूचनार्थ,
- 5-माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,
- 6-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी विभाग,

- 7-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,  
 8-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,  
 9-समस्त मा० मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,  
 10-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,  
 11-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,  
 12-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा,  
 13-लोक सभा सचिवालय, कान्फ्रेन्स ब्रान्च, नई दिल्ली,  
 14-सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 86, संसद भवन, नई दिल्ली,  
 15-सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत, नई दिल्ली,  
 16-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,  
 17-प्रमुख सचिव/सचिव, अन्य राज्य विधान परिषद्/विधान सभा,  
 18-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,  
 19-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,  
 20-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,  
 21-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,  
 22-पुलिस आयुक्त, लखनऊ,  
 23-पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,  
 24-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,  
 25-निदेशक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,  
 26-निदेशक, दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,  
 27-संयुक्त निदेशक, ऐशबाग तथा शाखा मुद्रणालय, लखनऊ,  
 28-प्रमुख सचिव, विधान सभा के निजी सचिव को प्रमुख सचिव की सूचनार्थ,  
 29-विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,  
 30-विधान पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश को विधान सभा की वेब साइट पर अपलोड कराए जाने हेतु।

राम किशोर,  
 अनु सचिव।

संलग्नक-एक

उत्तर प्रदेश विधान सभा का दिनांक 20 अगस्त, 2020 से दिनांक 24 अगस्त, 2020 तक का  
प्रस्तावित तिथिवार कार्यक्रम, जैसा कि माओ अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अनन्तिम रूप से  
स्वीकृत हुआ

अगस्त, 2020

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 20 गुरुवार             | निधन के निवेश।  |
| 21 शुक्रवार            | 1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर<br>रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।<br>2-विधायी कार्य।<br>3-अन्य कार्य, यदि कोई हों। |
| 22 शनिवार<br>23 रविवार | } बैठक नहीं होगी।   |
| 24 सोमवार              | 1-विधायी कार्य।<br>2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।   |

### अध्यादेश

- 1-उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2020),
- 2-उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2020),
- 3-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2020),
- 4-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2020),
- 5-उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2020),
- 6-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2020),
- 7-उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-8 सन् 2020),
- 8-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2020),
- 9-उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2020),
- 10-उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2020),
- 11-उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2020),
- 12-उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2020),
- 13-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-14 सन् 2020),
- 14-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15 सन् 2020),
- 15-उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 2020),
- 16-उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-17 सन् 2020),
- 17-उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-18 सन् 2020)।